रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.-33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89] दिल्ली, बुधवार, जुलाई 15, 2015/आषाढ़ 24, 1937 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 63
No. 89] DELHI, WEDNESDAY, JULY 15, 2015/ASHADHA 24, 1937 [N.C.T.D. No. 63

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व–1) विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 15 जुलाई, 2015

सं. फा. 03(10)/वित्त(राज–1)/2015-16/ डी.एस.–**VI/546.**—जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल का अभिमत है कि ऐसा करना जनसाधारण के हित में समीचीन है ;

अब इसलिए, दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 103 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा उक्त अधिनियम से संलग्न छठी अनुसूची में निम्नांकित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम, 2004 से संलग्न छठी अनुसूची में क्रमांक 10 प्रविष्टि को दिनांक 16 जुलाई 2015 से हटाया जाएगा ।

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 15th July, 2015

No. F.3(10)/Fin(Rev-I)/2015-16/DS-VI/546.—Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is expedient in the interest of general public so to do;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 103 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, makes the following amendment in the Sixth Schedule appended to the said Act, namely :—

In the Sixth Schedule appended to the Delhi Value Added Tax Act, 2004, the entry at S.No. 10 shall be omitted with immediate effect from 16th July, 2015.

सं. फा. 03(10)/वित्त(राज–1)/2015–16/डी.एस./VI/547—जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल का अभिमत है कि ऐसा करना जनसाधारण के हित में समीचीन है ;

अब इसलिए, दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 103 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा उक्त अधिनियम से संलग्न चतुर्थ अनुसूची में निम्नांकित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3), से संलग्न चतुर्थ अनुसूची में –

(अ) तालिका में क्रमांक 1 की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित पंक्ति को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"1.	पैट्रोलियम उत्पादों [पैट्रोल के अतिरिक्त(मोटर स्प्रिट), डीज़ल, तरल पैट्रोलियम गैस, पाईप से आने वाली प्राकृतिक गैस, सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस, वैक्स तथा कैरोसिन] जैसे (i) नैपथा; (ii) एवीएशन ट्रबाइन फ्यूल; (iii) लुब्रीकेन्ट्स; (iv) फयूरेन्स ऑयल; (v) उपरोक्त उत्पादों का मिश्रण एवं संयोजन।"	रुपये में 20 पैसे

(ब) तालिका में क्रमांक सं. 11 की प्रविष्टि से संबंधित पंक्ति के पश्चात्, निम्नलिखित पंक्ति को सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :–

"

12	पैट्रोल (मोटर स्प्रिट)	रुपये में 25 पैसे
13	डीज़ल (हाई स्पीड डीज़ल, सुपर लाईट डीज़ल ऑयल, लाईट डीज़ल ऑयल)	रुपये में 16.6 पैसे

"

यह अधिसूचना 16 जुलाई, 2015 से प्रभावी होगी।

No. F. 3(10)/Fin(Rev-I)/2015-16/IDS-VI/547.—Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is expedient in the interest of general public so to do;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 103 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, makes the following amendments in the Fourth Schedule appended to the said Act, namely :—

In the Fourth Schedule appended to the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005),—

(a) In the existing entries against Sl. No. 1, the following shall be substituted, namely:—

"

1.	Petroleum Products [other than Petrol (Motor Spirit), Diesel, Liquid Petroleum Gas, Piped Natural Gas, Compressed Natural Gas, Wax and Kerosene] such as (i) Naptha; (ii) Aviation Turbine Fuel; (iii) Lubricants, (iv) Furnace oil; and (v) Mixture and combination of above products.	Twenty paise in the rupee

(b) after Sl. No.11, the following shall be inserted, namely:—

"

12.	Petrol (Motor Spirit)	25 paise in the rupee
13.	Diesel (High Speed Diesel, Super Light Diesel Oil, Light Diesel Oil)	16.6 paise in the rupee

"

This notification shall come into force immediately.

सं. फा. 12 (3)/वित्त (राजस्व–1)/2015–16/डीएसएफ–VI/539.–दिल्ली मनोरंजन एवं बाजीकर अधिनियम, 1996 (1997 का दिल्ली अधिनियम सं. 08) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली मनोरंजन एवं बाजीकर नियमावली, 1997 में पुनः संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ** :– (1) इन नियमों को दिल्ली मनोरंजन एवं बाजीकर (संशोधन) नियमावली, 2015 कहा जाएगा ।

(2) यह अधिसूचना 20 जुलाई, 2015 से प्रभावी होगी।

2. **नियम 40 का संशोधन**:– दिल्ली मनोरंजन एवं बाजीकर नियमावली, 1997 में–

(1) नियम 40 में, "15" अंक के स्थान पर "20" अंक को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(2) नियम 47 में, "10" अंक के स्थान पर "20" अंक को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

No. F. 12(3)/Fin(Rev-I)/2015-16/DSF-VI/539.—In exercise of the powers conferred by section 45 of the Delhi Entertainments and Betting Tax Act, 1996 (Delhi Act No.8 of 1997), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules further to amend the Delhi Entertainments and Betting Tax Rules, 1997, namely :–

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Delhi Entertainments and Betting Tax (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force with effect from 20th July, 2015.

2. Amendment of Rule 40.— In the Delhi Entertainments and Betting Tax Rules, 1997,—

(1) in rule 40, for the figure "15" the figure "20" shall be substituted.

(2) in rule 47, for the figure "10" the figure "20" shall be substituted.

सं. फा. 12 (3)/वित्त (राजस्व–1)/2015–16/डीएसएफ–VI/540.–दिल्ली मनोरंजन एवं बाजीकर अधिनियम, 1996 (1997 का दिल्ली अधिनियम सं. 08) की धारा 07 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 31 दिसम्बर, 1999 की अधिसूचना सं. फा. 12(5)/97–वि.(सा.) /1406 तथा 01 फरवरी, 2010 की अधिसूचना सं. फा. 10(16)/वि. (टी एंड ई) 2009–10/जेएस वित्त/63 के आंशिक आशोधन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, जो 20 जुलाई, 2015 से प्रभावी होंगे, अर्थात् :–

(1) 31 दिसम्बर, 1999 की उक्त अधिसूचना में अंक "20" के स्थान पर अंक "40" को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(2) 01 फरवरी, 2010 की उक्त अधिसूचना में पैराग्राफ (क) में अंक "20" के स्थान पर अंक "40" को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

No. F.12(3)/Fin(Rev-I)/2015-16 DSF-VI/540.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 the Delhi Entertainments and Betting Tax Act, 1996 (Delhi Act No. 8 of 1997) and in partial modification of this Government's Notification Nos. F12(5)/97-Fin(G)/1406 dated the 31st December, 1999 and No. F.10(16)/ Fin (T&E)2009-10/JS Fin/63 dated the 1st February, 2010, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following amendments which shall come into force with effect from 20th July, 2015, namely:—

(1) In the said notification dated the 31st December, 1999 for the figure "20" the figure "40" shall be substituted.

(2) In the said notification dated the 1st February, 2010, in paragraph (a), for figure "20" the figure "40" shall be substituted.

सं. फा. 12 (3)/वित्त (राजस्व–1)/2015–16/ डीएसएफ–VI/541.–दिल्ली मनोरंजन एवं बाजीकर अधिनियम, 1996 (1997 का दिल्ली अधिनियम सं. 08) की धारा 06 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 17 जुलाई, 2008 की अधिसूचना सं. फा. 12/(03)/(टी एंड ई) 2008–09/जेएस–वित्त/338 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा हटाये जाने के लिये की गई बातों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फिल्मों के समस्त सिनेमा आटोग्राफिक प्रदर्शन के संबंध में प्रवेश के लिये भुगतान पर मनोरंजन कर की दर चालीस प्रतिशत होगी। यह अधिसूचना 20 जुलाई, 2015 से प्रभावी होगी।

No. F. 12(3)/Fin(Rev-I)/2015-16/DSF-VI/541.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Delhi Entertainments and Betting Tax Act, 1996 (Delhi Act No.8 of 1997) and in supersession of this Government's notification F.12/(3)/(T&E)/2008-09/JS-FIN/338 dated the 17th July, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby notifies that the rate of entertainment tax on payment for admission in respect of all cinematographic exhibition of films in the National Capital Territory of Delhi, shall be forty percent. The notification shall come into force with effect from 20th July, 2015.

सं. एफ. 3(11)/वित्त (क. एवं स्थाप.)/2009–10/डीएस VI/531.—दिल्ली मूल्य सवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 अधिनियम के साथ पठित दिल्ली मूल्य सवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उप–धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप–राज्यपाल, मूल्य सवर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पद ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं; अर्थात्:–

क्रम सं.	अधिकारी का नाम श्री/श्रीमती/कु	कार्यभार की तिथि	पदनाम
1	रंजीत सिंह	18-05-2015	संयुक्त आयुक्त मूल्य संवर्धित कर

No. F. 3(11)/Fin(T & E)/2009-10/DS-VI/531.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following officers, with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely:—

Sl. No.	Name of the Officer Sh./Smt./Ms.	Date of physical joining	Appointed as
1	Sh. Ranjeet Singh	18-05-2015	Joint Commissioner, Value Added Tax Department

सं. फा. 03(14)/वित्त (राजस्व–1)/2012–13/डीएस–VI/532.—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, मूल्य संवर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रभासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पदग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं, अर्थात् :–

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/कु.)	कर एवं व्यापार विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	पदनाम
1	श्री अशोक कुमार	01–04–2015	सहायक आयुक्त–सह–मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
2	श्री संदीप यादव	01–04–2015	सहायक आयुक्त–सह–मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
4	श्री कौशल किशोर	19–03–2015	सहायक आयुक्त–सह–मूल्य संवर्धित कर अधिकारी

No. F.3 (14)/Fin(Rev-I)/2012-13/DS-VI/532.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 66 of the Delhi Valuc Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following officers, with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely:—

Sl. No.	Name of the Officer Sh./Smt./Ms.	Date of physical joining in DT&T	Appointed as
1.	Sh. Ashok Kumar	01-04-2015	Assistant Commissioner-cum-VATO
2.	Sh. Sandeep Yadav	01-04-2015	Assistant Commissioner-cum-VATO
3.	Sh. Kaushal Kishore	19-03-2015	Assistant Commissioner-cum-VATO

सं. फा. 03(4)/वित्त (राज–1)/2015–16/536.––दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का दिल्ली अधिनियम 05) की धारा 1 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा **15 जुलाई, 2015** को उस तिथि के रूप में नियत करते हैं जिस तिथि को उक्त अधिनियम लागू होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप–राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रविन्द्र कुमार, उपसचिव-VI (वित्त)

No. F. 3(4)/Fin.(Rev.-1)/2015-16/DS-VI/536.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Delhi Value Added Tax (Second Amendment) Act, 2015 (Delhi Act 05 of 2015), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, appoints the 15th July, 2015 as the date on which said Act shall come into force.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy.-VI (Finance)

3106 DG/15-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.